eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

राष्ट्र के निर्माण एवं उच्च शिक्षा में डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक नवाचार का अध्ययन

राजेश कुमार[1] प्रो0 शैलेन्द्र सिंह[2]
शोधार्थी– समाजशास्त्र विभाग, जे0 एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद (उ0प्र0)
विभागाध्यक्ष– समाजशास्त्र विभाग, जे0 एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद फिरोजाबाद (उ0प्र0)

Received: 15 April 2025 Accepted & Reviewed: 25 April 2025, Published: 30 April 2025

Abstract

डॉ0 अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा के प्रवर्तक थे। डॉ0 अंबेडकर का सम्पूर्ण जीवन संघर्ष का जीवन रहा। वह हमेशा समाज और शोषित तथा देश की लिए कार्य करते थे। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि शिक्षित और सामाजिक हो तो किसी भी देश को विकसित होने में देर नहीं लगती। वह व्यक्ति न केवल पुरुष प्रधान हो बल्कि उस देश में रहने वाले स्त्री–पुरुष बच्चे तथा सभी जन्म लेने वाले व्यक्तियों को शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनके अंदर सामाजिक समझ, व्यक्तिगत समझ, शैक्षिक समक्ष, और वास्तविक समझ के हो क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, तब तक देश कभी विकसित नहीं हो सकता। डॉ0 अंबेडकर के यही विचार राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय डॉ0 अंबेडकर का विचार आया कि उच्च शिक्षा का विस्तार तभी संभव हो सकता है, जब भारत का प्रत्येक नागरिक स्त्री–पुरूष को समाज का सामान अधिकार और शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त करना, उनका नैसर्गिक अधिकार होगा।

वह केवल एक वर्ग में, एक जाति में, और एक धर्म में रहकर अपना जीवन समाप्त न करें, बल्कि वह समाज एवं आर्थिक में सभी प्रकार के हकदार हों। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु जन्म लेता है और उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। वह स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ प्रकाश और स्वयं स्वच्छ चंद्रमा की छाया से आच्छादित होता है। उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है लेकिन समाज की विडंबनाओं के अधीन होकर वह इतना विकृत हो जाता है कि उसके अंदर अनेक सामाजिक बुराइयां निहित हो जाती है। यही कारण है कि समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति को समानता का अधिकार होना बहुत आवश्यक है, और यह तब तक नहीं हो सकता। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, स्वतंत्रता और बंधुत्व तथा नहीं जागृत होगी। डॉ अंबेडकर ने अपने **हिंदू कोड बिल** , में इस बात को साबित किया कि देश में सभी नागरिक शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो। यदि महिलाए भी शिक्षा प्राप्त करेंगीं तो राष्ट्र निर्माण में एक अपना अहम सहयोग प्रदान करेंगीं।

मूल शब्द– हिन्दू कोड बिल, संविधान, समाज, राष्ट्र, उच्च शिक्षा।

Introduction

डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और बौद्धिक नवाचार के प्रतीक हैं। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई और दलित, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए शिक्षा को सबसे प्रभावी हथियार माना। उनके विचारों और नवाचारों ने न केवल भारतीय समाज में बल्कि उच्च शिक्षा प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। राष्ट्र निर्माण एवं उच्च शिक्षा में डॉ. अंबेडकर के सामाजिक नवाचारों का अध्ययन उनके विचारों की वर्तमान में रोडमैप का कार्य करती है[1]।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी युग प्रवर्तक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अत्याचारी युग को अपने मृत से परिवर्तन की अपने भागवत जन्म को अपने कर्म के संघर्ष से परिवर्तित किया अपने भाग्य व जन्म को अपने कर्म के संघर्ष से परिवर्तित किया। स्वयं अपने को ही नहीं एवं समुचित दलित पीड़ित छोटे समाज पर हर मजदूर, हर गरीब, हर बेब्स का मार्ग प्रशस्तीकरण किया। वेद शास्त्र उपनिषद के गलत टीका टिप्पणी पर आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा हिंदू धर्म ग्रंथो में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, कि ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव–मानव से घृणा करें मनुस्मृति के गलत व्याख्यान पर आक्षेप किया तथा कहा मै ऐसी इस मत को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सभी वर्ग जातियों के बीच घृणा पैदा करती है, तथा अलगाववाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है। डॉ भीमराव अंबेडकर जी अंबेडकर कानून के भी ज्ञान से भी अछूतों को न्याय दिलाने के लिए हर समय कानूनी किताब का अध्ययन करते हुए, जब बोलते थे तो वकीलों की बोलती बंद हो जाया करती थी। डॉ0 भीमराव अंबेडकर को आधुनिक कर्ण भी कहा जाता था। वह कर्ण की बात कर्म से तो ठीक थे, लेकिन जन्म अछूत वंश में हुआ था। वह जब चाहते तब अपनी विद्धता एवं ज्ञान से सफल समर्थ सख्त सारे लोगों से मिलकर सभी मसलें सिद्ध कर सकते थे लेकिन उन्होंने अछूतों के हित के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया। सुख चौन में नींद हराम कर दी इसलिए लोगों ने देवतुल महापुरुष मानते है।

तथ्यों का विश्लेषण–

राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर की भूमिका (सामाजिक समरसता और समानता)

डॉ. अंबेडकर ने जातिवाद और छुआछूत के उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने समाज में समानता स्थापित करने के लिए संवैधानिक अधिकारों की वकालत की। उनके प्रयासों का परिणाम था कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार,और स्वतंत्रता अवसर मिले। ताकि व्यक्ति अपने योग्यता और परिश्रम का खुलकर उपयोगकर सके वह अपने जीवन जीने के लिए आत्म निर्भर बन सके।

संविधान निर्माण में योगदान – डॉ. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया। उनके प्रयासों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीति लागू हुई, जिससे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिसकी वजह से समाज के सभी वर्गो के स्त्री पुरूष आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

आर्थिक और सामाजिक सुधार – डॉ. अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को अनिवार्य माना। उन्होंने कृषि, औद्योगिकीकरण और श्रम सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भारत के जल संसाधनों के विकास और औद्योगिकरण की नीति बनाई जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके[2]।

उच्च शिक्षा में डॉ. अंबेडकर का योगदान

शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम बनाना– डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने कहा था, **शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।** उनका मानना था कि समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार तभी मिल सकते हैं जब वे शिक्षित होंगे। उन्होंने दलितों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक प्रयास किए।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

उच्च शिक्षा में समान अवसरों की वकालत—डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने के लिए आरक्षण की वकालत की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से संस्थानों की स्थापना का सुझाव दिया। उनके प्रयासों से ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला।

महिला शिक्षा को बढ़ावा—डॉ. अंबेडकर महिलाओं की शिक्षा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्र की प्रगति का आधार बताया। उनके प्रयासों से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला[3]।

डॉ. अंबेडकर के सामाजिक नवाचार (जाति–व्यवस्था को चुनौती)—डॉ. अंबेडकर ने जाति–आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई सामाजिक नवाचार किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा दी ताकि वे जातिवाद से मुक्त हो सकें।

श्रम सुधार एवं मजदूर अधिकार—उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में कई सुधार किए। उन्होंने 8 घंटे की कार्य अवधि, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया।

सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच— डॉ. अंबेडकर ने 1927ई0 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाने के लिए संघर्ष किया। यह भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक ऐतिहासिक कदम था।

राष्ट्र निर्माण में डॉ. अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता— आज भी डॉ. अंबेडकर के विचार और नवाचार राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा सुझाए गए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार नीतियां भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक हैं।

शिक्षा और रोजगार में अवसरों की समानता—शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में आरक्षण नीति अब भी जारी है। इससे समाज के पिछड़े वर्गों को आगे आने का अवसर मिल रहा है।

डिजिटल युग में शिक्षा सुधार— आज डिजिटल शिक्षा की क्रांति हो रही है, लेकिन कई वंचित वर्ग इससे दूर हैं। डॉ. अंबेडकर की नीतियां बताती हैं कि तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाना चाहिए।

सामाजिक समरसता और न्याय—डॉ. अंबेडकर का सपना एक ऐसा भारत था, जहां जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आज भी उनकी विचारधारा सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शक बनी हुई है[4]।

15 अगस्त 1947ई0 को हम स्वतंत्र हुए। हमने प्रजातंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया। प्रजातंत्र जीवन की एक विधि है। लोकतंत्र शिक्षा में साध्य और साधन का संबंध है। वह एक दूसरे पर निर्भर है। शक्ति की दृष्टि से साधन जुटाया जाता है और साधन के आधार पर शब्द का स्वरूप तैयार किया जाता है। प्रजातंत्र की प्राप्ति के लिए हमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के अभाव में न तो मनुष्य अपने अधिकारों से परिचित हो सकते हैं। और ही अपने कर्तव्यों से उन्हें विचार करने में सत्य में भेद करने की शक्ति का विकास भी नहीं किया जा सकता। तभी देश के जागरूक नागरिक बन सकते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

प्राचीन काल से ही अनेक शिक्षा शास्त्रियों मनीषियों और विचारकों ने शिक्षा के स्वरूप को अपनी कृतियों एवं विचारों द्वारा सारगर्भित रूप से स्पष्ट किया है। शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, तथा अनुशासन से युक्त शिक्षा के अनेक पक्ष शिक्षाविदों द्वारा विवेचना जिनका मूल स्वरूप शिक्षा शास्त्रियों के आधार पर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शैक्षिक दृश्य महिलाओं की उन्नत की पक्षधर थी। नारियों की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी का विकास स्त्रियों को सामाजिक क्षेत्र में समानता दिए बिना नहीं हो सकता। डॉ0 अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि स्त्रियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर। हम राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, विकास को और वृद्धि करते हैं। स्त्री यदि माता के रूप में बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है तो स्वयं के रचना कौशल से घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ती है। वह पति की दासी नहीं होकर सहगामी है, जो घर के प्रबंध के साथ व्यवसाय का प्रबंध देखती है। नारी में व्यक्तित्व का विकास रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास घरेलू उद्योगों का संचालन अपने अधीनस्थ अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है[5]।

शिक्षित नारी कई परिवार को कुशलता पूर्वक चला सकती है। नारी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है 1813ई0 से 1854ई0 तक तत्वों का मनन करते हुए अंबेडकर जी पाते हैं कि उस समय लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल कम थी, जो थोड़ी बहुत लड़कियां प्राथमिक शिक्षा के आंशिक लाभ को पाती थी। वह सवर्ण समाज की लड़कियां थी। 1815ई0 ईस्वी में मुंबई में शिक्षा का आरंभ मुंबई शिक्षा समिति की स्थापना से शुरू हुई। 1828ई0 की प्रारंभ में मुंबई में स्थानी बच्चों के लिए चार प्रकार के स्कूल खोले गए। उसमें लगभग 250 विद्यार्थी थे। 1825ई0 तक मुंबई सरकार ने अपने खर्चों से जिले के राशन में प्राथमिक स्कूल खोलें। बरहम व भवानीपुर में भी स्कूलों की स्थापना की गई। लंदन मिशनरी सोसायटी तथा चर्च मिशन सोसाइटी लड़कियों के लिए 27 विद्यालयों की स्थापना की गई। इसमें 500 छात्रों का शिक्षण कार्य होता था। भारत में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा मुंबई में मिशनरियों का कार्यक्रम और भी अधिक विस्तृत था। 1831ई0 में अहमदनगर में भी दो विद्यालय लड़कियों की शिक्षा के लिए खोला गया। 1854ई0 के वुड़ के घोषणा पत्र में दो बातों की सिफारिश बड़े जोरदार शब्दों से की गई। 1887ई0 में शिक्षा आयोग की नियुक्त हुई। जिसके अध्यक्ष सर विलियम थे। बालिकाओं विद्यालय को अधिक उदार सहायता दी जाए। उनके लिए विशेष रूप से सहायता अनुदान नियम सरल बनाए जाएं। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका विद्यालय से ऐसे ही स्त्री व पुरुष को संबंध किया जाए जो स्त्री शिक्षा में रुचि रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की नारी शिक्षा पर बहुत बल देते थे। उनके तीन आदर्श शिक्षा, संगठन, संघर्ष, में से शिक्षा प्रमुख था। वह कहते थे। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन अपने विचार जीविका के सुसंपन्न तरीके, अच्छे संस्कार, शिष्टाचार आदि को प्राप्त कर सकता है। डॉ0 साहब का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कक्षा एक से पांच तक छात्रावास होनी चाहिए। उनके शिक्षा का क्रियान्वयन सन 1963–64ई0 में प्रारंभ हुआ[6]।

इस वर्ष 1963–64ई0 में इस कार्य का दायित्व एवं नियंत्रण तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी को सोपा गया। अभी तक प्राइमरी कक्षाओं में प्रत्येक स्कूल के अनुसूचित जाति के 14 पिछड़ी जाति के तीन तथा विमुक्त जातियों अनुसूचित जाति में शामिल किये। सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति की दर 12 रुपए प्रष्तवर्ष रही, किंतु वर्तमान में अनुसूचित जाति में साक्षरता बढ़ाते हुए एक से पांच तक सभी छात्र–छात्राओं को छात्र वृत्ति दिए जाने की व्यवस्था शासन ने कर दी। जिसमें प्रदेश के लगभग 14 लाख छात्र छात्राएं

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

लाभांवित हो रहे थे। डॉ भीमराव अंबेडकर जी की रणनीति अछूतों एवं दलितों को न्याय दिलाने हेतु बहुत आक्रामक थी। भीमराव अंबेडकर के पूर्व संत रविदास व दक्षिणी भारत के संत रामास्वामी पेरियार ने भी जाति प्रथा का खुले शब्दों में विरोध किया था, लेकिन अंबेडकर जी जैसी पुस्तक के मुरंतो का अध्ययन करके रात–रात पर जागकर केवल उन्हीं के विषय में सोचना तथा तर्कशीलता से समाधान ढूंढना ऐसा नहीं था।

डॉ0 भीमराव अंबेडकर कहा करते थे । **अब समय आ गया अपने स्वाभिमान को इकट्ठा करो, एकजुट हो जाओ तुम सबसे बड़ी ताकत हो दृढ़ इरादा कर लो हमें अपने आप को बदलना है।** जो बात कहो वह ठोस में वजनदार हो अंबेडकर जी ने आजीवन दलितों के हितों को चिंतन की ओर कार्य किये। डॉ0 भीमराव अंबेडकर जी ने 10 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। इस मांग पत्र में सभी सदस्य शामिल थे। जिन्हें मान लेने में दलित समाज देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकता था। उसकी अगली पीढ़ियां सिर उठाकर चल सकती थी। डॉ0 अंबेडकर ने 1928ई0 में साइमन कमीशन की सेवा में विज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आग्रह के अनुसूचित जातियों के लिए कुछ रक्षापन की आवश्यकता है। अंबेडकर जी 1942–1946ई0 तक वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहे एवं अभी शमिता से उन्होंने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेक प्रतिनिधि कार्य किया।

डॉ अंबेडकर जी को भारतीय संविधान पर लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत से बाबा साहब को अवसर मिलकर भी दलितों के पिछड़ों के भाग्य परिवर्तन की दिशा में कार्य कर सके। उन्होंने इस दायित्व को बहुत अच्छे एवं सुनिश्चित ढंग से पूर्ण किया। उन्होंने संविधान में उल्लेख की धाराओं अनुसूचित धाराओं से उनका व्यक्तित्व पुरुष से कोई अहित नहीं होगा। डॉ भीमराव अंबेडकर के दलितों की रक्षा के लिए निबंध के निधन आशाएं मजदूर किसान ने स्त्रियों को भी सुरक्षित अधिकार के लिए संविधान में नियम व अधिनियम बनाएं। संविधान में अनुसूचियां को प्रस्तावित किया कुछ तो उनके समय में ही पारित होने लगी थी, कुछ उनके सपने जो उनके मरणोपरांत उनकी जन्म सती के शुभ अवसर पर पारित हो रही थी। उनके द्वारा संविधान में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के बारे में इस प्रकार हैं।

अनुच्छेद 17में असपृष्यता का अंत किया। अनुच्छेद 18में सभी नागरिकों को भागीदारी, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता शांतपूर्ण और निरापित सम्मेलन का संगम या संघ बनाने का। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद विचरण और भारत के किसी भाग में निवास करने बस जाने का या कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का विशेष सावधानी से उन्नत । तथा सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उनका संरक्षण करेगी अनुच्छेद 35 संघ या किसी राज्य के कार्य कलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के गांव का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

बंदोबस्त जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 9 अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्तियों, ग्रामीण, शिल्पियों और अन्य खेती और मजदूरों में जिनके पास आवास स्थल नहीं है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और प्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष करते अपना सर्वश्रेष्ठ इच्छावर कर दिया। उन्होंने सर्व समस्या ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की प्रकरण भारतीय समाज को दी। जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

नागरिकों को सम्मान अधिकार प्राप्त है। आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। स्वतंत्रता के बाद से अनवरत यह प्रयास किया गया कि भारतीय के समाज का जीवन संविधान सम्मानित हो।

निष्कर्ष–

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण और उच्च शिक्षा में सामाजिक नवाचार के माध्यम से अमूल्य योगदान दिया। उनके विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम बनाया और समानता की नींव रखी। उनके सामाजिक नवाचारों ने भारत को एक प्रगतिशील और समतावादी समाज बनाने की दिशा में अग्रसर किया। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेकर एक समान और न्यायसंगत समाज की ओर बढ़ना चाहिए।

डॉ भीमराव अंबेडकर जी एवं महात्मा गांधी की स्वतंत्रता पूर्व पर स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। आज भी हमारे समाज को उनकी आवश्यकता है। अंबेडकर जी की जीवनी लेखक राजेंद्र मोहन भटनागर जी अपनी पुस्तक चिंतन और विचार के संबोधन नामक शीर्षक में रहते हैं कि इन दोनों महात्माओं ने राज्य की अपेक्षा समाज बदलने की दिशा में अधिक चिंतन किया था और तदानुरूप करवानी के प्रयास भी किए थे। स्वतंत्रता के बाद के आवश्यकता तो एक सामान्य और सुखी समाज बनाने की थी, लेकिन वैसा हो नहीं सका। यह कहना भ्रामक सत्य की अंबेडकर दलित अनुसूचित जातियों जनजातियों के नेता थे। वह संपूर्ण मानव जाति के नेता थे और मानववादी व समाज संरचना में उन्होंने अपना गतिशील सहयोग प्रदान किया। डॉ0 अंबेडकर की जीवनी भी संविधान के साथ था, कारण दुनिया में दलित वर्ग एक है और वह वर्ग सुविधाओं के प्राप्त करने का पूर्णता हकदार है।

उसका आधार जाति नहीं आर्थिक अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधाता ने दलित परिवार में जन्म दिया पर उन्होंने अपने पौरुष से अपने उन्नत्तों की, साथ ही अपनी जाति के लोगों को तंत्र से जगह दिया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी लेखक विश्व प्रकाश गुप्त मोहिनी गुप्ता जी लिखते हैं कि अंबेडकर अपने जीवन में जितने प्रभावशाली थे उससे कहीं मरणोंपरान्त आज हैं। भारतीय राजनीति और समाज की पुनर्रचना में उनके विचार पर्यटन एवं कार्यों की सशक्ति एवं का आज भारत का हर राजनीतिक दल उनके नाम की दुहाई देता है। डॉ0 अंबेडकर 21वीं शताब्दी के विश्व महापुरुषों में एक है। जिन्होंने अपने कृतित्व विश्व इतिहास में अपना प्रमुख स्थान लिया।

भारत सरकार ने मरणोपरांत सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्र के संसद भवन ने उनका तैल चित्र लगाकर उन्हें भारतीयता के निर्माता में प्रमुख स्थान प्रदान किया। भारत सरकार उनकी स्मृति में डाक टिकट तथा स्मारक सिक्का भी जारी किया। देश और प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर विविध आयामों पर गोष्ठियों में जिसमें डॉ0 अंबेडकर के जीवन और कृतित्व पर विकास डाला गया। उनके विचार हम दृष्टिकोणों को अपनाते है। इस प्रकार से डॉ0 भीमराव अंबेडकर की शैक्षिक नीतियां आज भी उतनी ज्यादा प्रासंगिक है जितनी देश को आवश्यकता है। उससे अधिक उन्हें जीवन की संघर्ष की ओर ले जाना। आज डॉ0 अंबेडकर ही वह है जो राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को एक भौतिकवाद से हटकर एक वास्तविक अर्थवाद की ओर ले जा सकता है।

''शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा, वही गर्जना करेगा।'' **डॉ. भीमराव अंबेडकर**

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 04, April 2025

सन्दर्भसूची

1. ए0डब्लू0 कुबेरः बी0आर0 अम्बेडकर, पृ0 इण्डियन एंटीक्यूरी (रायल एशियाटिक सोसाइटी,बम्बई) मई 1917, पृ0—109।
2. धनंतय कीर : डॉ0अम्बेडकर लाइफ, पृ0—99।
3. एम0एल0 सहारेः डॉ0 अम्बेडकर : राइटिग्स एंड स्पीचेज(खण्ड—4), गर्वमेंट ऑफ महाराष्ट्र पब्लीकेशन, पृ0 75।
4. हरिश्चन्द्र रिशि : मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर, डॉ0 अम्बेडकर विधायियिनी, 6(4) पृ0113—19, वर्ष1989।
5. ए0एम0 राजशेखरेया : एक विश्लेषण द लागेसी आफ डॉ0 अम्बेडकर, बी0 आर पब्लिशर्स, 1990।
6. सीताराम केशरीः डॉ0 अम्बेडकर संपूर्ण वाग्यमय खण्ड 9, अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ0 55।
7. डॉ0 शयोराज सिंह बेचेन : गॉधी अम्बेडकर हरिजन—जनता, समता प्रकाशन, विश्वास नगर, नई दिल्ली।पृ0119।